छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ

द्वितीय अपील क्र. **220/2006**

अपीलार्थी**(**वादी**):**

नंदलाल जायसवाल, आयु लगभग 50 वर्ष आत्मज स्व. शिवरतन जायसवाल, निवासी ग्राम अखोराकला, थाना अंबिकापुर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण**(**प्रतिवादीगण**):**

1. बंधु जायसवाल, आत्मज शिवरतन जायसवाल, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम कल्याणपुर, थाना एवं तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
2. संतोषी राम जायसवाल, आयु लगभग 58 वर्ष, आत्मज शिवरतन जायसवाल, निवासी ग्राम अखोराकला, थाना अंबिकापुर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
3. श्रीमती सोनू जायसवाल, आयु लगभग 53 वर्ष, पिता स्व. नवरतन जायसवाल, निवासी ग्राम कल्याणपुर, थाना एवं तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
4. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: कलेक्टर, सरगुजा, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा **100** के अधीन प्रस्तुत द्वितीय अपील

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक **220/2006**

नंदलाल जायसवाल

विरुद्ध

बंधु जायसवाल एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए श्री मनोज परांजपे और श्री वैभव गोवर्धन, अधिवक्तागण।

मौखिक आदेश

(दिनांक 31.8.2006)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा :

(1) यह वादी की द्वितीय अपील है जो व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 100 के अधीन प्रस्तुत की गई है। वादी दोनों न्यायालयों में हार चुका है। यह अपील द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 5-ए/2005 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.2.2006 से उद्‌भूत है, जो व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-II,

सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 86- ए/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.9.2003 से उद्भूत है।

(2) वादी ने वादपत्र की अनुसूची ए और बी में वर्णित कृषि भूमियों के संबंध में घोषणा, विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद प्रस्तुत किया। अनुसूची-ए ग्राम अखोराकला से संबंधित है। अनुसूची-बी ग्राम कल्याणपुर से संबंधित है। वादपत्र के अभिकथन यह हैं कि अनुसूची-ए की भूमियां उसके पिता नामतः शिव रतन जायसवाल की स्व-अर्जित संपत्ति थीं। शिव रतन के 3 पुत्र थे नामतः नंदलाल (वादी), बंधु (प्रतिवादी क्रमांक 1) और संतोषी राम (प्रतिवादी क्रमांक 2)। शिव रतन जायसवाल के एक अन्य भाई नवरतन जायसवाल थे, जिनकी पुत्री श्रीमती सोनू, प्रतिवादी क्रमांक 3 है। वादपत्र के अभिकथन यह हैं कि वादपत्र की अनुसूची-बी की संपत्तियां नवरतन जायसवाल द्वारा अर्जित की गई थीं। यह आगे अभिकथित किया गया है कि जब नवरतन की मृत्यु हुई तो अनुसूची-बी की संपत्तियां उनकी पुत्री श्रीमती सोनू (प्रतिवादी क्रमांक 3) को उत्तराधिकार में प्राप्त हुईं। सोनू को विकलांग (निःशक्त) दर्शाया गया है। वादी का प्रकरण यह है कि नवरतन की मृत्यु के कारण, सोनू के भरण-पोषण का प्रश्न उत्पन्न हुआ और परिवार के सदस्यों के बीच यह तय किया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ग्राम कल्याणपुर जाएगा और सोनू के भरण-पोषण की देखभाल करेगा और वह अनुसूची-बी की संपत्तियों का प्रबंधन भी करेगा और इस प्रकार, उसका अखोराकला स्थित अनुसूची-ए की संपत्तियों में कोई अधिकार या हित नहीं होगा। वाद-कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी क्रमांक 1 ने भी वादपत्र की अनुसूची-ए की संपत्तियों में अपने अधिकार और स्वामित्व का दावा किया। वादी का दावा यह है कि उसे और प्रतिवादी क्रमांक 2 को ग्राम अखोराकला की संपत्तियों का संयुक्त स्वामी घोषित किया जाए, और यदि, प्रतिवादी क्रमांक 1 को भी ग्राम अखोराकला की संपत्तियों में 1/3 हिस्से की सीमा तक संयुक्त स्वामी ठहराया जाता है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तो वादी और प्रतिवादी क्रमांक 9 को भी ग्राम कल्याणपुर की संपत्तियों में उक्त संपत्ति में 1/3 हिस्से की सीमा तक प्रत्येक को संयुक्त स्वामी ठहराया जाए।

(3) प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने वादी के कथनों से इंकार करते हुए अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। उनके द्वारा यह अभिवचन किया गया 3. कि चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 शिव रतन जायसवाल का पुत्र है और अनुसूची-ए की संपत्ति स्वीकृत रूप से शिव रतन जायसवाल द्वारा अर्जित की गई थी, अतः, उक्त संपत्ति में उसका 1/3 हिस्सा होगा। जहां तक अनुसूची-बी की संपत्तियों का संबंध है, उसका नाम श्रीमती सोनू, प्रतिवादी क्रमांक 3 के नाम के साथ उन संपत्तियों में नामांतरित किया गया है क्योंकि वह प्रतिवादी क्रमांक 3 की देखभाल कर रहा है और उसने उस संपत्ति को परिवार में विभाजन के एवज में स्वीकार नहीं किया है जैसा कि वादी द्वारा अभिकथित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विभिन्न विवाद्यक विरचित किए और पक्षकारों का साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात, यह अभिनिर्धारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया कि वादी के साथ-साथ प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 वादपत्र की अनुसूची-ए की संपत्तियों में प्रत्येक के 1/3 हिस्से की सीमा तक संयुक्त स्वामी हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वादपत्र की अनुसूची-बी की संपत्तियां वादी या प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के स्वामित्व की संपत्तियां नहीं थीं।

(5) विचारण न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध, वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया।

(6) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित न करके विधिक त्रुटि की है कि पूर्ववर्ती विभाजन में, वादपत्र की अनुसूची-ए की संपत्तियां वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 के स्वामित्व में दी गई थीं। वह यह भी तर्क

देते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित न करके विधिक त्रुटि की है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने इस शर्त पर अनुसूची-ए की संपत्तियों पर अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया है कि उसे वादपत्र की अनुसूची-बी की संपत्तियों में प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के साथ स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होंगे।

(7) मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(8) सबसे पहले, अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अनुसार, यह प्रतीत होता है कि ऐसा कोई पूर्ववर्ती विभाजन, जैसा कि वादी द्वारा अभिकथित किया गया है, इस प्रकरण में अभिलेख पर स्थापित नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में केवल यह स्वीकार किया है कि वह प्रतिवादी क्रमांक 3 की संपत्तियों की देखभाल करने के लिए ग्राम कल्याणपुर गया था और वह प्रतिवादी क्रमांक 3 की संपत्तियों का प्रबंधन कर रहा था और ग्राम अखोराकला की संपत्तियों का प्रबंधन उसके दो भाइयों नामतः वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा किया जा रहा था। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने वास्तव में वादपत्र की अनुसूची-ए की संपत्तियों के संबंध में अपने अधिकारों का अभित्याग/समर्पण कर दिया है। इसके अतिरिक्त, वादपत्र की अनुसूची-बी की संपत्तियों को प्राप्त करने की शर्त के कारण, वादपत्र की अनुसूची-ए की संपत्तियों में प्रतिवादी क्रमांक 1 के अधिकार को इस प्रकरण में निर्वापित नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसा कार्य उसकी स्वामिनी नामतः श्रीमती सोनू, जो यहाँ प्रत्यर्थी क्रमांक 3 हैं और जो नवरतन की एकमात्र पुत्री हैं, के जीवनकाल में वादपत्र की अनुसूची-बी की संपत्तियों के भाग्य का विनिश्चय करने के समान होगा। किसी भी विधि के अधीन, उसकी संपत्ति का उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके जीवनकाल में प्रशासन/विभाजन नहीं किया जा सकता है और यहाँ तक कि उस संपत्ति के प्रबंधन के संबंध में, पक्षकारों के बीच कुछ आपसी सहमति होने पर भी, वादपत्र की अनुसूची-ए की संपत्तियों में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रतिवादी क्रमांक 1 का अधिकार, जो स्वीकृत रूप से उसके पिता की संपत्तियां थीं, विधि की दृष्टि में निर्वापित नहीं किया जा सकता है।

(9) इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष सही अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का भी 1/3 हिस्से की सीमा तक वादपत्र की अनुसूची-ए की संपत्तियों में अधिकार और हित था। यह निष्कर्ष तथ्य का एक निष्कर्ष है जो न तो विकृत है और न ही अभिलेखों के विपरीत है। इसे अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से अभिलिखित किया गया है। उक्त न्यायालयों द्वारा अभिलिखित ऐसे निष्कर्ष में कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 का परिशीलन यह स्पष्ट करता है कि धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता का क्षेत्र और प्रयोग अपील के ग्रहण के समय विरचित विधि के सारवान प्रश्न या उसी के लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात बाद के प्रक्रम पर विरचित अतिरिक्त सारवान विधि के प्रश्नों तक सीमित है। यह स्पष्ट करता है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधानों के अधीन अधिकारिता के प्रयोग के लिए विधि के सारवान प्रश्न की विद्यमानता अपरिहार्य शर्त है। (कृपया देखें **(2004)** वॉल्यूम **V** एस.सी.सी. **762 -** त्यागराजन एवं अन्य**-**विरुद्ध**-** वेणुगोपाल स्वामी बी**.** कोइल एवं अन्य)।

(11) विधि का सारवान प्रश्न क्या माना जाएगा, इस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संतोष हजारी **-**विरुद्ध**-** पुरुषोत्तम तिवारी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण **(2001) 3** एस.सी.सी. **179** के मामले में अवधारित किया गया है कि "विधि का एक बिंदु जिस पर दो मत नहीं हो सकते वह विधिक प्रतिपादन हो सकता है परंतु विधि का सारवान प्रश्न नहीं हो सकता। 'सारवान' होने के लिए विधि का प्रश्न तर्कयोग्य होना चाहिए, जिसे देश की विधि या बाध्यकारी पूर्व निर्णय द्वारा पहले से निर्णीत नहीं किया गया हो, और प्रकरण के निर्णय पर उसका सारवान प्रभाव होना

चाहिए, यदि उसका उत्तर किसी भी रूप में दिया जाए, जहां तक कि उसके समक्ष पक्षकारों के अधिकारों का संबंध है। प्रकरण में 'अंतर्ग्रस्त' विधि का प्रश्न होने के लिए पहले इसके लिए अभिवचनों में एक आधार रखा जाना चाहिए और यह प्रश्न तथ्यों के न्यायालय द्वारा पहुंचे गए तथ्य के संधारणीय निष्कर्षों से उभरना चाहिए और प्रकरण के न्यायपूर्ण एवं उचित निर्णय के लिए विधि के उस प्रश्न का विनिश्चय करना आवश्यक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक पूर्णतः नया बिंदु प्रकरण में अंतर्ग्रस्त प्रश्न नहीं होता है जब तक कि यह मामले की जड़ तक न जाता हो। अतः, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि विधि का कोई प्रश्न सारवान है और प्रकरण में अंतर्ग्रस्त है, या नहीं; परम सर्वोपरि विचार यह है कि सभी प्रक्रमों पर न्याय करने की अपरिहार्य बाध्यता और किसी भी वाद के समयावधि को खींचने से बचने की तीव्र आवश्यकता के मध्य एक न्यायसंगत संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने हीरो विनोथ (अवयस्क) **-विरुद्ध-** शेषम्माल**, (2006) 5** एस.सी.सी**. 545** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि का एक प्रश्न जो वाद के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है वह सारवान होगा, यदि यह विधि के किन्हीं विशिष्ट प्रावधानों, या संबंधित उच्च न्यायालय, प्रिवी काउंसिल, फेडरल न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी पूर्व निरन्यों से उभरने वाले सुस्थापित विधिक सिद्धांत द्वारा प्रवारित नहीं है, और इसमें एक तर्कयोग्य विधिक बिंदु अंतर्ग्रस्त है। एक विधि का सारवान प्रश्न वहां भी उत्पन्न होगा जहां विधिक स्थिति स्पष्ट है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे सिद्धांत की उपेक्षा करते हुए या उसके विपरीत कार्य करते हुए मामले को निर्णीत किया है। हालांकि, विधि का सारवान प्रश्न जिस पर द्वितीय अपील सुनी जाएगी, वह आवश्यक रूप से सामान्य महत्व का विधि का सारवान प्रश्न नहीं होना चाहिए, अपितु केवल वह हो सकता है जो "प्रकरण में अंतर्ग्रस्त था"। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक पूर्णतः नया बिंदु

प्रकरण में अंतर्ग्रस्त प्रश्न नहीं है जब तक कि यह मामले की जड़ (मूल) तक नहीं जाता है। अतः, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि विधि का कोई प्रश्न सारवान है और प्रकरण में अंतर्ग्रस्त है या नहीं, परम सर्वोपरि विचार न्याय करने की अपरिहार्य बाध्यता, और किसी भी वाद के समयावधि को लंबा खींचने से बचने की तीव्र आवश्यकता के मध्य एक न्यायसंगत संतुलन स्थापित करना है।

(13) इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस अपील में कोई सारवान विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन प्रस्तुत यह अपील, ग्रहण प्रक्रम(मोशन स्टेज) पर ही खारिज की जाती है। वाद - व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**